

मैनुअल संख्या: 5 [धारा 4(1)(ख)(v)]

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

1) रिकॉर्ड/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक और प्रकृति :-

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन विद्युत अधिनियम 2003 की प्राविधानों के अनुरूप किया जाता है। उक्त की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत, कार्यालय के कृत्यों हेतु प्रयोग हेतु अधिसूचित नियमों/विनियमों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम	विनियम का विवरण
1.	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) विनियम, 2002 एवं उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018
2.	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014

उपरोक्त विनियम आयोग की वेबसाइट www.uerc.uk.gov.in पर देखे जा सकते हैं अथवा इन अभिलेखों की प्राप्ति विनियम के अन्तर्गत प्राविधानित शुल्क जमा कर, आयोग कार्यालय के निम्न पते से प्राप्त की जा सकती है :-

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
'विद्युत नियामक भवन', नियर आई0एस0बी0टी0,
माजरा, देहरादून-248171
फोन-0135-2641115

(2) नियमों, विनियमों, निर्देश मैनुअल और अभिलेखों की सूची :-

आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अनुरूप समय-समय पर सुसंगत विनियमों को अधिसूचित किया जाता है। जिनका राजकीय गजट में प्रकाशन के उपरान्त आयोग की अधिकारिक वेबसाइट www.uerc.uk.gov.in/Current-regulation-2024 में भी आम जन की जानकारी हेतु (अंग्रेजी एवं हिन्दी रूपान्तरण सहित) अपलोड किये जाते हैं। जिनका सूचीबद्ध अवलोकन उपरोक्त लिंक के माध्यम से किया जा सकता है।

3) अधिनियम/नियम मैनुअल आदि :-

यह सभी विवरण उपरोक्त पैरा में विनिदिष्ट किया गया है।

4) स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।